

# समाहरणालय लातेहार

(आई0टी0डी0ए0)

## पुनर्निविदा हेतु विज्ञप्ति

जनजातीय क्षेत्रिय उपयोजना के अंतर्गत आदिम जनजातियों के विकास हेतु आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1044 दिनांक 24.05.2013 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए स्वीकृत 20 लाख रुपये की राशि के विरुद्ध सी0सी0डी0 (Conservation and Development) मद में व्ययोपरांत उपलब्ध अवशेष राशि मो0 1542270/- (पंद्रह लाख ब्याहिस हजार दो सौ सत्तर रुपये) से जिले के मनिका प्रखण्ड के औराटांड, बरवाडीह प्रखण्ड के बेतला एवं महुआडांड प्रखण्ड के नेतरहाट, कुल तीन आदिम जनजाति के आवासीय विद्यालयों में 300 बच्चों को Nutritional Food Security Scheme के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणी के अनुसार अधिकतम रु 535/- (पांच सौ पैंतीस) रुपये के अंतर्गत प्रति बच्चा पोषक आहार के Package की आपूर्ति प्रति माह चालु वित्तीय वर्ष में किया जाना वांछित है।

मासिक पोषक आहार (Nutritional Food) पैकेज में सामग्रियों की विवरणी निम्न प्रकार होगी :-

### I. माह अगस्त तक के लिए

क्र0सं0	सामग्री का नाम	मात्रा
(i)	हॉरलिक्स/बॉर्नबिटा/ कप्लान	½ Kg
(ii)	Gram (चना)	½ Kg
(iii)	Jaggery (गुड़)	½ Kg
(iv)	Green Gram मूंग (साबूत)	½ Kg
(v)	Almonds (कागजी बादाम)	100gm
(vi)	सत्तू (चना दाल)	½ Kg
(vii)	Glucon D (ग्लूकोज)	500gm

### II. सितम्बर माह से आगे के लिए

क्र0सं0	सामग्री का नाम	मात्रा
(i)	हॉरलिक्स/बॉर्नबिटा/ कप्लान	½ Kg
(ii)	Gram (चना)	½ Kg
(iii)	Jaggery (गुड़)	½ Kg
(iv)	Green Gram मूंग (साबूत)	½ Kg
(v)	Almonds (कागजी बादाम)	100gm
(vi)	Chawan prash ( च्यवन परास)	½ k.g


- उपरोक्त विवरणी के अनुसार पोषक आहार सामग्री (Nutritional Food) के पैकेज का दर निर्धारण तथा निर्धारित दर पर आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 03.05.2016 को 2:00 बजे अपराहन तक आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, लातेहार में निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा उसी दिन अपराहन में 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निर्णायक समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा से संबंधित शर्त एवं विस्तृत जानकारी लातेहार के वेबसाईट [www.latehar.nic.in](http://www.latehar.nic.in) पर अथवा कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।


परियोजना निदेशक,  
आई0टी0डी0ए0, लातेहार

उपायुक्त, लातेहार।

शर्तें :-

1. गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री तथा Branded कंपनियों का उत्पाद होना चाहिये तथा निविदा के साथ पोषक आहार सामग्री का नमूना (Sample) भी आई0टी0डी0ए0, लातेहार के कार्यालय में जमा करना होगा तथा उसी नमूना के अनुरूप आदेशित मात्रा में पोषक आहार (Nutritional Food) का उपरोक्त पैकेज की आपूर्ति निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित करना होगा ।
2. उपरोक्त विवरणी के अनुसार पोषक आहार सामग्री के संपूर्ण पैकेज के लिये दर Quote करना होगा तथा स्वीकृत दर पर ही एकरारनामा की अवधि में आपूर्ति करना होगा । वीच की अवधि में दर का बढ़ने से आपूर्ति अप्रभावित रहेगा ।
3. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, लातेहार के पदनाम से रु 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये का बैंक Draft जमा करना होगा ।
4. निविदा के साथ निविदादाताओं को आयकर एवं विक्रीकर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं आयकर रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करना होगा ।
5. निविदादाताओं को झारखण्ड राज्य के किसी भी जिले के वाणिज्य कर विभाग से निर्बंधित होना चाहिए ।
6. निर्धारित तिथि/स्थान पर आदेशित पोषक आहार सामग्री की आपूर्ति देनी होगी । आपूर्ति आदेश में तिथि/स्थान की जानकारी दी जायेगी ।
7. सामग्रियों के स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा ।
8. दर निर्धारण के समय क्रय समिति के समक्ष सामग्रियों का एक ही नमूना लाना अनिवार्य होगा । अच्छी गुणवत्ता वाले नमूने ही मान्य होंगे । नमूना प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
9. निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर सामानों के पैकेज की आपूर्ति नमूने के अनुरूप करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर उचित कार्रवाई की जायेगी ।
10. किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने या किसी भी सिंगल आइटम को स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा ।
11. चयनित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 24 घंटे के अन्दर एकरारनामा करना होगा ।

  
परियोजना निदेशक,  
आई0टी0डी0ए0, लातेहार  
22-4-16

  
उपायुक्त, लातेहार।